classmate
Date
Page

DATE: 21/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 07 (UNION EXECUTIVE: COUNCIL OF MINISTERS AND THE PRIM MINISTER)

LECTURE NO. - 42 (FORTY TWO)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारत का प्रधानमंत्री
Prime Minister of India

संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि "राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।"

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को शासन का संवैधानिक प्रधान बनाया गया है, इनके नाम से संघ का शासन चलाया जाता है, परन्तु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है।

संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नियुक्ति के पूर्व प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है।

स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को

Scanned with CamScanner

एक माह के अन्दर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा।

1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा, जो छह माह के अन्दर (प्रधानमंत्री बनने के बाद) संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लें।

संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परन्तु संसदीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा का सदस्य होना अपेक्षित है।

अभी तक तीन प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं (i) इंदिरा गांधी (1966) (ii) एच. डी. देवगौड़ा (1996) एवं (iii) डॉ. मनमोहन सिंह (2004 एवं 2009)।

शपथ :-

प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा-निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही भय, पक्षपात या द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन भी देता है।

पदावधि :-

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है; इसका अर्थ यह नहीं है कि

प्रधानमंत्री को जब चाहे तब वह बर्खास्त कर दे। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर भी अपना पद छोड़ सकता है।

यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। हालांकि मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में ऐसा नहीं होता है।

वर्णित स्थिति उत्पन्न नहीं होने की दशा में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष का होता है, जो लोकसभा का भी होता है।

वेतन व भत्ते —

सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं, जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि भी प्राप्त होते हैं।

वर्तमान में प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते इस प्रकार हैं —

बेसिक सैलरी — 50,000/-
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता — 45,000/-
रोज का भत्ता (2000×31) — 62,000/-
व्यय भत्ता — 3,000/-
कुल वेतन — 1,60,000/-
(एक लाख साठ हजार रुपये)

Scanned with CamScanner